*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/विविध–24–01/2012 282 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–24/3/2020

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में विकास भवन, नया सचिवालय, पटना अवस्थित, नगर विकास एवं आवास विभाग के Conference Hall एवं विभिन्न कमरों के जीर्णोद्धार हेतु देनदारी की राशि ₹26.39700 लाख (छब्बीस लाख उनचालीस हजार सात सौ रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

विकास भवन, नया सचिवालय, पटना अवस्थित, नगर विकास एवं आवास विभाग के Conference Hall एवं विभिन्न कमरों के जीर्णोद्धार हेतु विभागीय राज्यादेश सं०– 96, दिनांक– 26.12.2018 द्वारा कुल ₹130.99700 लाख (एक करोड़ तीस लाख निनानवे हजार सात सौ रु०) मात्र की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए आवंटनादेश सं०– 51, दिनांक– 26.12.2018 द्वारा कुल ₹104.60 लाख मात्र आवंटित किया गया था। कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना के पत्रांक– 7264, दिनांक– 25.11.2019 द्वारा अवशेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ– 2 में अंकित कार्यों के सम्मुख स्तम्भ– 5 में अंकित देनदारी की राशि ₹26.39700 लाख (छब्बीस लाख उनचालीस हजार सात सौ रु०) मात्र स्तम्भ– 6 के अनुरूप निम्नवत् स्वीकृत की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (3–4)	स्वीकृत कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6
1.	Renovation of Room No.- 17, 18 & 19 (Conference Hall) of Urban Development Department in Ground Floor at Vikash Bhawan, Patna for the year 2018-19. (Interior Furnishing Works)	65.38200	52.20698	13.17502	13.17502
2.	Renovation of Room No.- 17, 18 & 19 (Conference Hall) of Urban Development Department in Ground Floor at Vikash Bhawan, Patna for the year 2018-19. (Furniture, Civil and Electrification works)	65.61500	52.39302	13.22198	13.22198
	कुल योग	**130.99700**	**104.60000**	**26.39700**	**26.39700**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹26.39700 लाख (छब्बीस लाख उनचालीस हजार सात सौ रु०) मात्र।

3. तालिका में वर्णित कार्यों का कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹26.39700 लाख (छब्बीस लाख उनचालीस हजार सात सौ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019, पत्रांक– 733, दिनांक– 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) एवं पत्रांक– 1670, दिनांक– 03.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग को CFMS के माध्यम से Online हस्तांतरित किया जाएगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

5. स्वीकृत कुल ₹26.39700 लाख (छब्बीस लाख उनचालीस हजार सात सौ रु०) मात्र की निकासी मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 05–अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ, लघु शीर्ष– 001–निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष– 0104–निदेशालयों एवं इनके समतुल्य संस्थानों के आधुनिकीकरण हेतु विपत्र कोड– **48-2217050010104,** विषय शीर्ष– 0104.31.05–सहायक अनुदान– परिसम्पत्तियों के निर्माण से विकलनीय होगा।

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार ''सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

8. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जाएगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

9. स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

10. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/विविध–24–01/2012 के पृष्ठ सं०–96/टि० पर दिनांक–23.3.20 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–97/टि० पर दिनांक–23.3.20 को प्राप्त है।

13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. इसकी सूचना प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/जिला पदाधिकारी, पटना/कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24.03.2020

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/विविध–24–01/2012 282 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–24/3/2020

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/जिला पदाधिकारी, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभगीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.03.2020

सरकार के विशेष सचिव।